

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****दांडिक प्रकी. जमानत आवेदन सं. - 4340 वर्ष 2026**

दिवाकर यादव

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, सिविल सचि.
लखनऊ

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : रामाकार शुक्ला

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय सं. - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री रामाकार शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान्

अ.शा.अधि. श्री आलोक कुमार तिवारी को सुन ॥

2. प्रस्तुत आवेदन, मुकदमा अपराध सं. 293 वर्ष 2025, दर्ज अंतर्गत धारा 103(1), 61(2),

भा.न्या.सं., पुलिस थाना अमेठी, जिला अमेठी में आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने की मांग

करते हुए दाखिल किया गई है।

3. उपर्युक्त मामला, 5 नामजद व्यक्तियों, जिनमें आवेदक सम्मिलित नहीं था, और कुछ

अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध, यह कथन करते हुए, 23.10.2025 को दर्ज प्र.सू.रि. के आधार

पर रजिस्टर किया गया था कि जब सूचनादाता का बड़ा भाई मजदूरी का काम करने का

बाद लौट रहा था, तो परिवादी के पड़ोसी रवि कश्यप और हुबे लाल उर्फ दीपक ने, जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिवादी की बहन का जेठ/देवर है, ने लाठियों से पीटकर उसे मार डाला था। परिवादी ने स्पष्ट किया था कि उसे इस बात का शक था और उसने यह कहा भी था कि उसकी बहन सतना, बहन की पुत्री शोभा और करमैला पत्नी राम अभिलाख उर्फ लल्लू भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे।

4. 24.10.2025 को परिवादी ने प्रभारी निरीक्षक को यह कथन करते हुए एक लिखित आवेदन दिया था कि उसकी अपनी बहन सतना से शत्रुता मानता है। अरुण यादव, दिवाकर यादव (आवेदक), शिव प्रसाद यादव और वंश राज उर्फ बंटू दिवाली के मौके पर सतना के घर गए थे। सतना अपने भाई निर्मल को मारने करने का षड्यंत्र कर रही थी। अरुण ने उसका साथ दिया था और कहा था कि वह अन्य तीन व्यक्तियों से निर्मल को मरवा देगा। यह बातचीत परिवादी की पत्नी ने सुनी और देखी थी, किन्तु प्र.सू.रि. दर्ज होने के बाद ही उसने यह बात उसे बताई थी।

5. परिवादी की पत्नी ने भी ऐसा ही कथन किया था और उसने कहा था कि पहले उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था, और इसलिए उसने किसी व्यक्ति को यह बात नहीं बताई थी। प्र.सू.रि. दर्ज होने के बाद उसने अपने पति को यह बात बताई। इसके बाद, अन्वेषण अधिकारी ने अभिकथित चक्षुदर्शी साक्षी राम कुमार यादव और अभिषेक शुक्ला के कथन अभिलिखित किए थे, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने दिवाकर यादव (आवेदक), शिव प्रसाद यादव और वंश राज को मृतक पर लाठियों से हमला करते देखा था।

6. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में कहा गया है कि आवेदक 23 वर्ष

आयु का युवा व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। इसमें यह भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कहा गया है कि आवेदक एक अन्य आपराधिक मामले, मुकदमा अपराध सं. 162 वर्ष 2021, अंतर्गत धारा 323, 504, 506, भा.दं.सं. अमेठी में सम्मिलित है, जिसमें उसे कोई समन या वारंट प्राप्त नहीं हुआ है।

7. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि अभिषेक शुक्ला मृत्यु-समीक्षा कार्यवाही का साक्षी भी था। किन्तु उसने यह नहीं बताया था कि उसने आवेदक और अन्य व्यक्तियों को मृतक पर हमला करते देखा था, जिससे यह प्रतीत होता है कि उसने वास्तव में घटना नहीं देखी थी और उसे पश्चात्त्वर्ती सोच के रूप में चक्षुदर्शी साक्षी बनाया गया है।

8. विद्वान् अ.शा.अधि. ने उन्हें उपलब्ध किए गए अनुदेशों के आधार पर जमानत आवेदन का विरोध किया है और कहा है कि केस डायरी में दर्ज है कि आवेदक और अन्य दो लोगों, नामतः शिव प्रसाद यादव और वंश राज उर्फ बंटू को घटना के स्थान की ओर मोटरसाइकिल पर जाते देखा गया था और यह सी.सी.टी.वी फुटेज में भी दर्ज है। तथापि, न्यायालय ने विद्वान् अ.शा.अधि. को इस तथ्य की अग्रेतर पुष्टि करने का एक अवसर दिया था कि क्या अभियुक्त व्यक्ति घटना के समय और स्थान के आस-पास देखे गए थे।

9. व्हाट्सएप के माध्यम से अग्रेतर लिखित अनुदेश प्राप्त होने पर, विद्वान् अ.शा.अधि. कहते हैं कि आवेदक और अन्य दो व्यक्तियों को घटना से एक दिन पहले देखा गया था, न कि घटना के समय के आस-पास।

10. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक प्र.सू.रि. में नामित नहीं है; कि यह विचित्र बात है कि परिवादी

का दावा है कि उसकी पत्नी ने आवेदक और परिवादी के भाई के साथ सम्मिलित अन्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लोगों को भाई को मारने का षड्यंत्र करते हुए देखा और सुना था, जबकि परिवादी और उसकी बहन के संबंध तनावपूर्ण थे और वे आपस में बात नहीं करते थे; यह भी विचित्र बात है कि उपर्युक्त बातचीत सुनने के बाद भी, परिवादी की पत्नी ने परिवादी के भाई की मृत्यु के बाद और प्र.सू.रि. दर्ज होने तक भी इस बात को प्रकट नहीं किया था, और बाद में इसका प्रकटन किया था; परिवादी द्वारा उक्त प्रकटन किए जाने के बाद, अभिषेक शुक्ला ने कहा था कि उसने घटना देखी थी जबकि, अभिषेक शुक्ला मृत्यु-समीक्षा कार्यवाही का साक्षी था और उसने पहले इस तथ्य का प्रकटन नहीं किया था, जो प्रथमदृष्ट्या इंगित करता है कि अभिषेक शुक्ला को बाद में सोच-समझकर चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और कि यह स्पष्ट करते हुए कि उपर्युक्त संप्रेक्षण का मुकदमे के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा विचार है कि उपर्युक्त तथ्य, उपर्युक्त मामले में आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने का मामला बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

11. तदनुसार, यह जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

12. आवेदक-दिवाकर यादव को, उपर्युक्त उल्लिखित मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन जमानत पर छोड़ा जाए:

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत की गई प्रत्येक दिनांक पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

जून 12, 2026

-अमित के-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।